



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400 001

Department of Communication, Central Office, S.B.S.Marg, Fort, Mumbai-400 001

फोन/Phone: 022- 2266 0502

23 सितंबर 2022

राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी

निम्नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल **₹27,736 करोड़** (अंकित मूल्य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है।

क्रम सं.	राज्य	जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़)	अतिरिक्त उधार (ग्रीन शू) विकल्प (₹ करोड़)	अवधि (वर्ष)	नीलामी का प्रकार
1	आंध्र प्रदेश	500	-	6	प्रतिफल
		500	-	12	प्रतिफल
2	बिहार	1000	-	10	प्रतिफल
3	गोवा	100	-	10	प्रतिफल
4	गुजरात	1500	500	4	प्रतिफल
5	हरियाणा	1500	-	10	प्रतिफल
6	केरल	1436	-	18	प्रतिफल
7	महाराष्ट्र	2000	-	8	प्रतिफल
		2000	-	10	प्रतिफल
8	मणिपुर	100	-	10	प्रतिफल
9	मिज़ोरम	100	-	15	प्रतिफल
10	पंजाब	2500	-	20	प्रतिफल
11	राजस्थान	1000	-	10	प्रतिफल
		500	-	22 जून 2022 को जारी 7.85% राजस्थान एसडीएल 2039 का पुनर्निर्गम	मूल्य
12	तमिलनाडु	3000	-	16 फरवरी 2022 को जारी 7.13% तमिलनाडु एसडीएल 2047 का पुनर्निर्गम	मूल्य
		1500	-	2 जून 2021 को जारी 7.03% तमिलनाडु एसडीएल 2051 का पुनर्निर्गम	मूल्य

		1500	-	2 फरवरी 2022 को जारी 7.33% तमिलनाडु एसडीएल 2052 का पुनर्निर्गम	मूल्य
13	उत्तर प्रदेश	2500	-	10	प्रतिफल
14	पश्चिम बंगाल	2000	-	10	प्रतिफल
		2500	-	16	प्रतिफल
	कुल	27,736			

यह नीलामी 27 सितंबर 2022 (मंगलवार) को भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली का उपयोग करते हुए आयोजित की जाएगी। प्रत्येक स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के दस प्रतिशत तक सरकारी स्टॉक का आबंटन पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को [गैर-प्रतिस्पर्धी नीलामी सुविधा योजना](#) के अनुसार प्रति स्टॉक एकल बोली के लिए उसकी अधिसूचित राशि की अधिकतम एक प्रतिशत की सीमा तक किया जाएगा। व्यक्तिगत निवेशक भी रिटेल डायरेक्ट पोर्टल (<https://rbiretaildirect.org.in>) के माध्यम से गैर-प्रतिस्पर्धी योजना के अनुसार बोली लगा सकते हैं।

इस नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों बोलियाँ 27 सितंबर 2022 (मंगलवार) को भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए। प्रतिस्पर्धी बोलियाँ पूर्वाह्न 10.30 से पूर्वाह्न 11.30 के बीच और गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियाँ पूर्वाह्न 10.30 और पूर्वाह्न 11.00 के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।

तकनीकी कठिनाइयाँ होने पर, कोर बैंकिंग परिचालन टीम ([ईमेल](#); फोन नंबर: 022-27595666, 022-27595415, 022-27523516) से संपर्क किया जा सकता है।

नीलामी से संबंधित अन्य कठिनाइयों के लिए, आईडीएमडी नीलामी टीम से संपर्क ([ईमेल](#); फोन नंबर: 022-22702431, 022-22705125) किया जा सकता है।

केवल प्रणाली की विफलता की स्थिति में, भौतिक बोलियाँ स्वीकार की जाएंगी। ऐसी भौतिक बोलियों को लोक ऋण कार्यालय ([ईमेल](#); फोन नंबर: 022-22632527, 022-22701299) को आरबीआई की वेबसाइट (https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewForms.aspx) से प्राप्त निर्धारित फॉर्म में नीलामी समय समाप्त होने से पहले जमा किया जाना चाहिए।

बोली लगाने वालों द्वारा प्रत्याशित प्रति वर्ष प्रतिफल प्रतिशत दो दशमलव अंकों तक प्रस्तुत किया जाए। एक निवेशक प्रतिफल या मूल्य के समान / विभिन्न दरों पर एक से अधिक प्रतिस्पर्धी बोलियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में प्रस्तुत कर सकता है। तथापि, बोली लगाने वाले द्वारा प्रस्तुत की गई बोलियों की सकल राशि प्रत्येक राज्य के लिए अधिसूचित राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकतम प्रतिफल/न्यूनतम मूल्य निर्धारित करेगा जिस पर बोलियाँ स्वीकृत की जाएंगी। प्रतिभूतियाँ ₹10,000.00 की न्यूनतम सांकेतिक राशि तथा उसके बाद ₹10,000.00 के गुणजों में जारी की जाएंगी।

इस नीलामी के परिणाम **27 सितंबर 2022 (मंगलवार)** को घोषित किए जाएंगे और सफल बोली लगाने वालों को भारतीय रिज़र्व बैंक के मुंबई तथा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में **28 सितंबर 2022 (बुधवार)** को बैंकिंग कामकाज़ के समय भुगतान करना होगा।

नीलामियों में सभी नए राज्य सरकारी स्टॉकों पर ब्याज, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर लागू होगा। नई प्रतिभूतियों के लिए ब्याज का भुगतान परिपक्वता तक प्रत्येक वर्ष **28 मार्च** और **28 सितंबर** को छमाही आधार पर किया जाएगा। पुनर्निर्गमित सरकारी स्टॉक के लिए, सरकारी स्टॉक के मूल निर्गम की तिथि पर निर्धारित दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा और परिपक्वता तक अर्धवार्षिक आधार पर भुगतान किया जाएगा। ये स्टॉक सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 और सरकारी प्रतिभूति विनियमन, 2007 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होंगे।

राज्य सरकार स्टॉक में निवेश को बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 के अंतर्गत सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के प्रयोजन के लिए बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में पात्र निवेश के रूप में गिना जाएगा। ये स्टॉक हाजिर वायदा सुविधा के लिए पात्र होंगे।

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/928

रूपांबरा
निदेशक (संचार)